


कार्यालय तहसीलदार कवर्धा, जिला कबीरधाम (छ.ग.)

// प्रेस विज्ञप्ति //

तहसील परिसर कवर्धा में वाहन स्टैण्ड एवं कैंटीन संचालन हेतु अवधि 01.10.2019 से एक वर्ष के लिए यह अनुबंध नियम एवं शर्तों के अधीन निष्पादित कराया जाना है। इस हेतु दिनांक 26.09.2019 को दोपहर 4.00 बजे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कवर्धा में खुली बोली से नीलामी की जावेगी। वाहन स्टैण्ड का संचालन दिनांक 01.10.2019 से प्रारंभ किया जावेगा जो दिनांक 01.10.2020 तक अनुबंध के अनुसार 01 वर्ष के लिए संचालित रहेगा। वाहन स्टैण्ड के लिए न्यूनतम बोली 100000/- एवं कैंटीन के लिए 150000/- न्यूनतम बोली निर्धारित की गयी है। बोली में अधिकतम राशि अंकित करने वाले व्यक्ति को वाहन स्टैण्ड एवं कैंटीन के संचालन हेतु अनुबंधित किया जावेगा। आवेदकों को बोली में भाग लेने के लिए 5,000 रु. अक्षरी पांच हजार रुपये प्रतिभूति के रूप में जमा करना होगा, जिनका आवेदन अस्वीकृत किया जावेगा, उन्हें राशि वापस कर दी जावेगी। विस्तृत नियम एवं शर्तों के संबंध में कानूनगो शाखा तहसील कार्यालय कवर्धा एवं जिला कार्यालय के वेबसाइट www.kawardha.gov.in से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

अतः इच्छुक व्यक्ति निर्धारित दिनांक 26.09.2019 को दोपहर 4:00 बजे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कवर्धा में उपस्थित होकर खुली बोली में भाग ले सकते हैं।


तहसीलदार,
कवर्धा, जिला-कबीरधाम